

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या : 35/2019 प्रार्थना पत्र

प्राधिकृत अधिकारी - बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा गांधीनगर, भीलवाड़ा	उनवान बनाम	1. मैसर्स जयश्री ब्रिक्स ग्राम पोस्ट धुंवाला, तहसील माण्डल जरिये प्रोप. रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र भगवान सिंह राठौड़ निवासी एफ-123/2, राजपूत कॉलोनी, सुभाषनगर भीलवाड़ा 2. भगवान सिंह पुत्र रतन सिंह राठौड़ निवासी ग्राम पोस्ट धुंवाला तहसील माण्डल
— प्रार्थी		—अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

प्राधिकृत अधिकारी— श्री नवजीवन शर्मा

**निर्णय**

दिनांक : 26.11.2019

प्राधिकृत अधिकारी, श्री नवजीवन शर्मा, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा गांधीनगर, भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। जिसमें अप्रार्थी को 14,00,000/- रुपये का ऋण दिनांक 25.11.2013 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर चल/अचल सम्पत्ति - रविन्द्र प्रताप सिंह राठौड़ पुत्र भगवान सिंह राठौड़ निवासी एफ-123/2, राजपूत कॉलोनी, सुभाषनगर की एक वाणिज्यिक दुकान नम्बर BHSF 06 द्वितीय तल, बायोस्कॉप सिनेमाल, पुरानी चुंगी के पास, अजमेर रोड, आराजी नम्बर 354, मलाण, सुभाषनगर, तहसील भीलवाड़ा क्षेत्रफल 99 वर्गफीट हैं, एवं आराजी सं. 2935/901 रकबा 6 बिस्वा आराजी सं. 2936/902 रकबा 02.08 बीघा व आराजी सं. 2937/907 रकबा 01.11 बीघा कुल किता 3 रकबा 04.05 बीघा ग्राम पोस्ट धुंवाला(माण्डल), पटवार क्षेत्र धुंवाला तहसील माण्डल मं अवस्थित औद्योगिक संपरिवर्तित भूखण्ड एवं निर्मित ईट भट्टा जिसक क्षेत्रफल 10750 वर्गमीटर हैं, जो अप्रार्थी के स्वामित्व की है को रहन रखा गया। दिनांक 31.12.2018 तक कुल बकाया ऋण की राशि 14,59,189/- रुपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 31.12.2018 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र

जिला मजिस्ट्रेट  
भीलवाड़ा (राज.)


स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

1. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाड़ा एवं माण्डल को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक २६-६-२०१९ को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राजेन्द्र भट्ट)  
जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा